

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा


अर्पित टॉक पुत्र राजेश टॉक निवासी जहाजपुर

बनाम

कैलाश नाथ पुत्र हीरा नाथ निवासी जहाजपुर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 338/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
13-05-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर आराजी सं. 4741 कुल किता 01 रकबा 0.2347 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है   ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर आराजी सं. 4741 कुल किता 01 रकबा 0.2347 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है   कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)</p>	

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

दिनांक- 13/05/2024

क्रमांक/रीडर/2024/338/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर-

विषय- प्र.सं. 338/2024 अनवान अर्पित टॉक पुत्र राजेश टॉक निवासी जहाजपुर  
बनान कैलाश नाथ पुत्र हीरा नाथ निवासी जहाजपुर, रामेश्वर नाथ पिता हीरा नाथ  
निवासी जहाजपुर, सत्येंद्र नाथ दत्तक पुत्र शंकर नाथ निवासी जहाजपुर, कमलनाथ  
पुत्र भीम नाथ निवासी जहाजपुर, सुखदेव पुत्र काना माली निवासी जहाजपुर, कैलाश  
पुत्र गंगाराम माली निवासी जहाजपुर, रमेश पुत्र गंगाराम माली निवासी जहाजपुर,  
अन्नपूर्ण माताजी स्थान देह पुजारी रमेश गोस्वामी निवासी जहाजपुर, तहसीलदार  
जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम जहाजपुर प.ह. जहाजपुर  
आराजी सं. 4741 कुल कित्ता 01 रकबा 0.2347 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में  
पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस  
500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी नौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में  
जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।  
तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की  
उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योज में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा